पुलिस को झूठी शिकायत देने वालों के विरुद्ध 84 मामले दर्ज

फरीदाबाद (म.मी.) किसी शरीफ़ नागरिक के विरुद्ध पुलिस को दी शिकायत देकर फ़र्जी मुकदमे में लपेटने वालों के विरुद्ध अब पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। किसी से बदला लेने अथवा ब्लैक मेल करने के उद्देश्य से इस तरह की शिकायत दर्ज करायी जाती हैं। ऐसे मामलों में आरोपी को जहां एक मुकदमेबाजी भुगतने के साथ-साथ सामाजिक तौर पर अपमानित होना पड़ता है, वहीं पुलिस तथा अदालतों का भी समय बर्बाद होता है।

झूठी शिकायतों को रोकने के लिये सीआरपीसी में धारा 182 के दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा में झूठी शिकायत एवं पुलिस को गुमराह करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसमें अदालत 6 माह तक की कैद व जुर्माना कर सकती है। लेकिन इस धारा के तहत कार्यवाही करने का अधिकार केवल पुलिस के पास ही होता है यानी झूठा मुकदमा झेलने वाले के पास नहीं, लेकिन पुलिस अक्सर इस धारा का प्रयोग करने में बहुत आलसी रहती है। दरअसल पुलिय वही कर पाती है जिसके लिये उस पर बहुत दबाव होता है। इसके अलावा कुछ मामलों में झूठे केस बनवाये ही पुलिस द्वारा जाते हैं, उन पर तो 182 की कार्यवाही का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल अच्छी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने वर्ष 2022 में अभी तक ऐसे 84 मामलों का संज्ञान लेकर झूठी शिकायत कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है।

संदर्भवश मजदूर मोर्चा सम्पादक सुतीश कुमार के विरुद्ध पहला झूठा मुकदमा भी भादस की धारा 420, 384 506 के अन्तर्गत थाना कोतवाली में 28-09-1995 में दर्ज किया गया था। इस काम के लिये तत्कालीन डीजीपी रमेश सहगल ने यमुनानगर सब इन्स्पेक्टर हरेराम को इन्स्पेक्टर बनाकर एसएचओ कोतवाली तैनात किया था। शिकायतकर्ता के तौर पर मधुबन के निकटवर्ती गांव कुटेल के सरपंच को यहां खासतौर पर भेजा गया था। व्यापक जन आक्रोश के चलते गिरफ्तारी तो हो नहीं पाई और भेद खुल गया। एसएचओ का तबादला तथा निलम्बन हुआ, शिकायतकर्ता के विरुद्ध 182 की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन बाट में खुर्द-बुर्द हो गयी ।

ताजातरीन मामला 14 अगस्त 2019 का है। तत्कालीन डीसीपी एनआईटी विक्रम कपूर ने आत्महत्या कर ली थी। थाना सेक्टर 31 में, इसे लेकर जो मुकदमा नम्बर 325 दर्ज हुआ इस में भी समादक सतीश कुमार का नाम केवल इस लिये लपेट दिया गया कि तत्कालीन सीपी संजय कुमार तथा डीसीपी क्राईम राजेश शर्मा अपनी खुदंक निकालता चाहते थे। लेकिन उच्चस्तरीय तफतीशी टीम ने उन्हें बेगुनाह पाया। जो भी हो इस सारी प्रक्रिया में पुलिस महकमे के संसाधनों की भारी बर्बादी हुई थी। क्या इस मामले में पुलिस को गुमराह करने वालों के विरूद्ध धारा 182 की कार्यवाही नहीं बनती ?

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लबगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

निगमायुक्त की मीटिंगों से जलभराव नहीं थमने वाला

फ़रीदाबाद (म.मो.) अनेक वर्षों से शहरवासी और कुछ वर्षों से निगमायुक्त यशपाल यादव भी इस शहर में जल भराव के नजारे देख चुके हैं। 24 मई को हुई वर्षा से शहर में हुए अभूतपूर्व जल भराव ने निगम के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जिनमें कहा गया था कि निगम ने जल निकासी के सारे प्रबन्ध कर लिये हैं।

विदित है कि इस तरह के दावे हर साल किये जाते हैं। वास्तव में इन दावों का मतलब यह होता है कि ठेकेदार को टेंडर दे दिये गये हैं, निकासी के प्रबन्ध हो न हो बिल पास करके भुगतान कर दिये गये हैं। जाहिर है कि काम केवल भुगतान का ही होता है निकासी के 'प्रबन्धों' का नहीं। भुगतान में से ही मोटा कमीशन तमाम सम्बन्धित लोगों को मिल जाता है। यही प्रक्रिया साल दर साल चलती रहती है और जल भराव भी।

इसी सप्ताह निगमायुक्त यशपाल ने अपने तमाम अनपढ़ व लुटेरे इंजीनियरों की मीटिंग लेकर उन्हें 25 जून तक जल निकासी के प्रबंध पूरे करने की हिदायत दी है। तमाम 56 डिस्पोजल की मोटरपंप को चालू रखना तथा डीजल जनेरेटरों को भी तैयारी हालत में रखने के आदेश दिये हैं। कोताही करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी उन्होंने दे डाली है। मजे की बात तो यह है कि हर बार दी जाने वाली चेतावनी के बावजूद भी डिस्पोजल की मोटर नहीं चलती।

कोताही करनेवालों के विरुद्ध आयुक्त यादव साहब क्या कर सकते हैं ? वे केवल ठेकेदारी में लगे जेई स्तर तक के कर्मचारियों, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, को बर्खास्त कर सकते हैं। असली हरामखोर एवं रिश्वतखोर बड़े अधिकारियों को तो वे छू तक भी नहीं सकते क्योंकि उन सबके पालनहार राजनीतिक आका उनके सिर पर हाथ रखे बैठे होते हैं। बीते दिनों बतौर निगमायुक्त गरिमा मित्तल ने विवेक गिल नामक एक एक्सियन के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाही थी तो कार्यवाही तो गई ऐसी-तैसी में, उसे सरकार ने पदोन्नत करके एसई बनाकर गुड़गांव जैसी मलाईदार पोस्टिंग भी दे दी।

निगमायुक्त ने 25 जून की जो तिथि तय की है, समझ से बाहर है। यदि उससे पहले 24 मई जैसी बारिश आ गई तो निगमायुक्त महोदय क्या करेंगे ? विदित है कि आजकल वर्षा का कोई समय निश्चित नहीं है, यह किसी भी वक्त कितनी ही मात्रा में आ सकती है। इसलिये जल निकासी के प्रबन्ध हर समय चाक-चौबंद रहने ही चाहिये।

अनेक वर्षों से निगम की कार्यशैली को देखने वाले बखूबी समझते हैं कि जल भराव से निपटना इनके काबू से बाहर है। पहली बात तो यह कि यहां तैनात तमाम अनपढ़ इंजीनियरों की नीयत ही इससे निपटने की नहीं है। दूसरे, यदि वे निपटना चाहें भी तो उन्हें इतनी समझ ही नहीं है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाये ? यदि कोई समझदार इन्हें कोई नेक सलाह देना भी चाहें तो वह इनकी समझ में आ नहीं सकती, वर्ना जलभराव अपने-आप में कोई समस्या नहीं है। यह समस्या खुद नालायक अफ़सरों द्वारा पैदा की गई है।

'यदि सब ठीक रहा तो' अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते करीब दो साल से, मोठूका गांव स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर के पद पर विराजमान डॉक्टर गौतम गोले ने अखबारों में अपने एक बयान के माध्यम से बताया है कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शीघ्र चालू होने वाला है। सरकारी भोंपू की तरह राजनीतिक बयान जारी करते हुए वे कहते हैं कि संस्थान के लिये आवश्यक उपकरणों एवं साजो-सामान की खरीद-प्रक्रिया जारी है। फेकल्टी यानी डॉक्टरों की भर्ती भी जारी है। 30 डॉक्टर तैनात हो चुके हैं-अपने इसी बयान में डॉ. गोले फरमाते हैं कि यदि 'सब कुछ ठीक रहा तो' अगले माह तक अस्पताल चालू हो जायेगा और इसी सत्र में 100 छात्रों को एमबीबीएस कोर्स में दाखिला दे दिया जायेगा।

उनके बयान में 'यदि सब कुछ ठीक रहा' जैसे शब्दों के मायने बहुत गहरे हैं। यानी भरोसा उन्हें भी नही है कि सब कुछ ठीक रह पायेगा। **'मज़दूर मोर्चा'** गतांकों में लिख चुका है कि खट्टर सरकार के बस का नहीं है इस चले-चलाये मेडिकल कॉलेज

को चलाना। फेकल्टी भर्ती के लिये जिन 106 डॉक्टरों को चयनित किया गया था उन्हें स्वीकृति पत्र देने के लिये गत माह पंचकूला तलब किया गया था। वहां मात्र 90 डॉक्टर ही पहुंचे थे। लेकिन अब मात्र 30 डॉक्टरों ने ही तैनाती पाई है। इसका मतलब यह हुआ कि चयनित डॉक्टरों को खट्टर सरकार की सेवा शर्तें तथा वेतन आदि रास नहीं आया। **'मज़दूर मोर्चा'** ने उसी वक्त यह भी लिख दिया था कि केवल वही डॉक्टर खट्टर की नौकरी में आयेंगे जिन्हें कहीं और ठौर नहीं। यानी सब जगह से रिजेक्टेड माल ही इस कॉलेज में लगेगा।

जून का महीना निकलने जा रहा है और अभी तक आवश्यक उपकरणों एवं साजो-सामान की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह की सरकारी प्रक्रिया जिस तरह से चलाई जाती है उसे जानने वाले बखूबी समझते हैं कि यह कब तक पूरी होगी ? यही सब बातें डॉक्टर गोले भी अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें भी इस संस्थान का भविष्य कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा। इसी लिये उन्होंने 'यदि सब कुछ ठीक रहा' शब्दों का इस्तेमाल किया है। खट्टर की नौकरी कर रहे हैं, वेतन आदि सब ठीक-ठाक मिल रहा है तो वही भाषा बोलना उनके लिये हितकारी होगा जो सरकार को पसंद हो।

सुधी पाठकों को फ़िर से याद दिला दें कि अप्रैल 2021 में खट्टर महोदय ने इस संस्थान को दो दिन में चला देने का एलान किया था और इसके जवाब में 'मोर्चा' ने लिख था कि दो दिन तो क्या वे दो साल में भी चला दें तो बहुत बड़ी बात होगी।